Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC)

भारतीय राजव्यवस्था

(छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ सहित)

भाग-2

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: CGPM22

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC)

भारतीय राजव्यवस्था

(छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ सहित)

भाग–2

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली–110009
दूरभाष : 8750187501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiias.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिए निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

CGPCS DLP विषय सूची (Contents)

6. मूल अधिकार **5-82**

6.1 मूल अधिकार : पृष्ठभूमि 5

6.2 मूल अधिकार : अनुच्छेद-12 और 13 13

6.3 समता का अधिकार : अनुच्छेद-14-18 18

6.4 स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद-19-22 32

6.5 शोषण के विरुद्ध अधिकार : अनुच्छेद-23 और 24 54

6.6 अनुच्छेद-25-28 : धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 57

6.7 अनुच्छेद-29-30 : संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 66

6.8 अनुच्छेद-31: संपत्ति का अधिकार (अब विलोपित) तथा कुछ विधियों की व्यावृति या सुरक्षा 69

6.9 संवैधानिक उपचारों का अधिकार : अनुच्छेद-32 73

7. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व **83–92**

7.1 नीति-निदेशक तत्त्वों का इतिहास 83

7.2 संविधान में विद्यमान नीति-निदेशक तत्त्व 83

7.3 संविधान के अन्य भागों में दिये गए नीति-निदेशक तत्त्व 85

7.4 मूल अधिकारों और नीति-निदेशक तत्त्वों में अंतर 85

7.5 नीति-निदेशक तत्त्वों और मूल अधिकारों के मध्य संघर्ष का इतिहास 86

7.6 नीति-निदेशक तत्त्वों का क्रियान्वयन 87

8. मूल कर्त्तव्य **93–97**

8.1 परिचय 93

8.2 भारतीय संविधान में मूल कर्त्तव्यों का इतिहास 93

8.3 मूल कर्त्तव्यों की सूची 93

8.4 मूल कर्त्तव्यों की प्रवर्तनीयता 94

9. संघीय कार्यपालिका **98–129**

9.1 भारत का राष्ट्रपति 98

9.2 भारत का उपराष्ट्रपति 114

9.3 भारत का प्रधानमंत्री 117

9.4 केंद्रीय मंत्रिपरिषद 121

9.5 भारत का महान्यायवादी 124
9.6 भारत का महाधिवक्ता 125
9.7 भारत के अपर महाधिवक्ता 125
10. संघीय विधायिका **101–179**
10.1 राज्यसभा 130
10.2 लोकसभा 133
10.3 संसद की सदस्यता 141
10.4 संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया 145
10.5 संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया 152
10.6 संसद के सत्र, सत्रावसान तथा लोकसभा का विघटन 157
10.7 संसद का कामकाज 159
10.8 संसदीय विशेषाधिकार 163
10.9 संसदीय समितियाँ 166
10.10 संसद: एक मूल्यांकन 173
11. भारत की न्यायपालिका **180-220**
11.1 भारत की न्यायपालिका : एक परिचय 180
11.2 न्यायालयों की कार्यवाही तथा अन्य पक्ष 181
11.3 सर्वोच्च न्यायालय 186
11.4 जनहित याचिका 203
11.5 न्यायिक सक्रियता 205
11.6 न्यायिक पुनरीक्षण/न्यायिक पुनर्विलोकन/न्यायिक पुनरावलोकन 207
11.7 न्यायपालिका में नवाचार 211
12. आपातकालीन उपबंध **221–231**
12.1 परिचय 221
12.2 राष्ट्रीय आपात 221
12.3 राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन 225
12.4 राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन में तुलना 228
12.5 वित्तीय आपात 229

अध्याय
6

मूल अधिकार
(Fundamental Rights)

6.1 मूल अधिकार : पृष्ठभूमि *(Fundamental Rights : A Background)*

मूल अधिकारों का अर्थ *(Meaning of Fundamental Rights)*

मूल अधिकारों की पूर्णत: निश्चित विशेषताएँ बताना संभव नहीं है, क्योंकि विभिन्न देशों में उनकी प्रकृति भिन्न है। मोटे तौर पर, भारतीय राजव्यवस्था की दृष्टि से मूल अधिकारों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित मानी जा सकती हैं–

- मूल अधिकार वे आधारभूत स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास यानी पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिये आवश्यक होती हैं। शेष अधिकारों के संबंध में यह हमेशा नहीं कहा जा सकता।
- मूल अधिकार देश की मौलिक विधि अर्थात् संविधान में उल्लिखित होते हैं। ये संविधान द्वारा रक्षित और प्रवृत्त होते हैं।
- आमतौर पर मूल अधिकार सिर्फ कार्यपालिका (Executive) की शक्ति को मर्यादित नहीं करते बल्कि विधानमंडल (Legislature) की शक्ति को भी नियंत्रित करते हैं। यदि विधायिका इन अधिकारों का उल्लंघन करने वाली कोई विधि (Law) बनाती है तो वह उस सीमा तक निष्प्रभावी या शून्य हो जाती है, जहाँ तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है।
- मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिये संविधान में संशोधन करना ज़रूरी होता है जबकि शेष कानूनी या विधिक (Legal or statutory) अधिकारों के मामले में आमतौर पर संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। कानूनी अधिकार के मामले में संविधान संशोधन की ज़रूरत सिर्फ तब होती है जब वह संविधान के द्वारा दिया गया हो। अगर कानूनी अधिकार किसी अधिनियम के माध्यम से दिया गया है तो उसमें साधारण विधेयक से ही संशोधन किया जा सकता है, संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं होती।

ध्यातव्य है कि सभी कानूनी अधिकार मूल अधिकार नहीं होते हैं, उदाहरण के लिये, उपभोक्ता अधिकार (Consumer Rights) कानूनी अधिकार तो हैं लेकिन मूल अधिकार नहीं हैं। इसी प्रकार, संपत्ति का अधिकार (Right to property), जो पहले मूल अधिकार था, वह अब कानूनी अधिकार है पर मूल अधिकार नहीं। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद-301) भी कानूनी अधिकार का उदाहरण है।

मूल अधिकार नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी; उनका स्वरूप प्राकृतिक अधिकारों (Natural rights) की तरह भी हो सकता है और सामान्य कानूनी या विधिक अधिकारों (Legal rights) की तरह भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित देश की राजव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? जहाँ तक भारतीय संविधान व राजव्यवस्था का प्रश्न है, उसमें दिये गए मूल अधिकार इन सभी वर्गों में अलग-अलग मात्रा में समायोजित किये जा सकते हैं।

भारत में मूल अधिकारों की आवश्यकता (Need of Fundamental Rights in India)

संविधान सभा द्वारा संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था किये जाने के कुछ विशेष कारण थे, जैसे–

- भारत की अधिकांश जनता निरक्षर होने के कारण अपने राजनीतिक हितों और अधिकारों को नहीं समझती थी। इसलिये, यह खतरा लगातार विद्यमान था कि कहीं राज्य उसके मूल अधिकारों का हनन न कर दे।
- संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary System) में यह खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि कार्यपालिका का विधायिका में बहुमत होता है जिसका अर्थ है कि सरकार संसदीय बहुमत का प्रयोग करते हुए मूल अधिकारों को छीनने वाला कानून बना सकती है।

अनुच्छेद-32(3) *[Article–32(3)]*

अनुच्छेद-32(3) में उपबंध है कि अनुच्छेद-32(1) और 32(2) में सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्तियों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि संसद चाहे तो अनुच्छेद-32(2) में दी गई शक्तियों में से किन्हीं या सभी का विस्तार 'किसी अन्य न्यायालय' तक कर सकती है।

ध्यातव्य है कि 'किसी अन्य न्यायालय' वाक्यांश का अर्थ 'उच्च न्यायालयों से भिन्न न्यायालयों' से लिया जाता है, क्योंकि उच्च न्यायालयों के पास तो अनुच्छेद-226 के तहत रिट अधिकारिता पहले से ही है। अभी तक संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। यही कारण है कि वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति नहीं रखते।

अनुच्छेद-32(4) *[Article–32(4)]*

अनुच्छेद-32(4) में इस बात की व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद-32 द्वारा व्यक्तियों को दिये गए अधिकारों का गलत तरीके से निलंबन न किया जा सके। इसमें लिखा है कि ''इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता।''

इसका अर्थ है कि अनुच्छेद-32 का निलंबन केवल उन्हीं आधारों पर किया जा सकेगा, जो संविधान में ही बताए गए हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य यह है कि विधायिका या कार्यपालिका मनमाने तरीके से व्यक्तियों के मूल अधिकार निलंबित न कर सके।

जहाँ तक संविधान का प्रश्न है, उसमें सिर्फ एक ऐसी परिस्थिति का उल्लेख किया गया है जिसमें अनुच्छेद-32 निलंबित किया जा सकता है। यह प्रावधान अनुच्छेद-359 में है। इसके अनुसार, यदि अनुच्छेद-352 के तहत देश में आपात की उद्घोषणा की गई हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद-359 में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश निकालकर घोषणा कर सकता है कि भाग (3) में दिये गए मूल अधिकारों में से कौन-से अधिकार आपात उद्घोषणा के जारी रहने के दौरान न्यायालय से प्रवृत्त नहीं कराए जा सकेंगे। इस प्रकार, यदि राष्ट्रपति अपने आदेश के माध्यम से अनुच्छेद-32 के प्रवर्तन पर रोक लगा देता है तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद-32 द्वारा दिये गए 'संवैधानिक उपचारों का अधिकार' निलंबित हो सकता है।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- सभी कानूनी अधिकार मूल अधिकार नहीं होते हैं, उदाहरण के लिये उपभोक्ता अधिकार कानूनी अधिकार तो है, लेकिन मूल अधिकार नहीं है। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद-301) भी कानूनी अधिकार का उदाहरण है।
- मूल संविधान में अधिकारों के सात वर्ग थे, किंतु '44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978' द्वारा 'संपत्ति का अधिकार' हटा दिये जाने के कारण अब मूल अधिकारों के छः वर्ग रह गए हैं।
- इंग्लैंड में मूल अधिकार एकदम कमज़ोर स्थिति में हैं। वहाँ की संसद इतनी शक्तिशाली है कि वह किन्हीं भी अधिकारों को किन्हीं भी सीमाओं तक मर्यादित कर सकती है।
- अनुच्छेद-34 संसद को शक्ति प्रदान करता है कि यदि भारत के किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो तो संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों पर पूर्णतः या अंशतः निर्बंधन (Restrictions) आरोपित कर सकती है।
- अनुच्छेद-359 द्वारा राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह संविधान के भाग-3 में उल्लिखित मूल अधिकारों को न्यायालय से प्रवर्तित कराने का अधिकार भी निलंबित कर सकता है।
- संसद मूल अधिकारों को संविधान संशोधन के माध्यम से सीमित कर सकती है, पर ऐसा कोई संशोधन यदि संविधान के आधारभूत ढाँचे को प्रभावित करता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
- न्यायिक पुनर्विलोकन का मूल संबंध शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से है। व्यावहारिक रूप में, अमेरिका में ही इस सिद्धांत को पहली बार लागू किया गया।
- 'विधियों का समान संरक्षण' एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसमें 'संरक्षण' शब्द के माध्यम से बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की कानूनों तक पहुँच बराबर होनी चाहिये।

- अनुच्छेद-16 का अधिकार केवल उन मामलों में लागू होता है जहाँ राज्य द्वारा 'नौकरी' दी जा रही है। यह 'संविदा संबंधी सेवाओं' के मामले में लागू नहीं होता।
- कोई निर्बंधन युक्तियुक्त है या नहीं, यह अंतिम रूप से न्यायालय ही निर्धारित कर सकता है, विधानमंडल नहीं।
- राष्ट्रीय ध्वज को अपने घर या कार्यालय परिसर में फहराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है।
- व्यवसाय की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति जो चाहे व्यवसाय करे। न्यायालय ने कई मामलों में निर्धारित किया है कि व्यवसाय का अर्थ 'वैध व्यवसाय' से है, 'अवैध व्यवसाय' से नहीं।
- अनुच्छेद-20(3) के अंतर्गत अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- अनुच्छेद-20 का संबंध सिर्फ आपराधिक विधियों से है, सिविल विधियों से नहीं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में निर्धारित किया है कि अनुच्छेद-21 में निहित प्राण या जीवन के अधिकार में 'एकांतता का अधिकार' भी शामिल है, क्योंकि मानवोचित गरिमा के साथ जीने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को एकांतता की आवश्यकता होती है।
- अनुच्छेद-24 के अंतर्गत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है।
- आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने '42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976' के माध्यम से 'सैकुलर' शब्द को संविधान की प्रस्तावना में शामिल कर दिया।
- अनुच्छेद-27 कर लगाने का ही निषेध करता है, शुल्क लगाने का नहीं।
- संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. अंबेडकर, जिन्हें 'भारतीय संविधान का निर्माता' कहा जाता है, ने अनुच्छेद-32 को संविधान की आत्मा कहा था।
- अनुच्छेद-32 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दी गई न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के 'मूल ढाँचे' का हिस्सा है, जिसका अर्थ है अनुच्छेद-368 के आधार पर संविधान के संशोधन द्वारा भी इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है।
- 'हैबियस कॉर्पस' एक लैटिन अभिव्यक्ति है, जिसका शाब्दिक अर्थ है- 'शरीर प्राप्त करना'। यह रिट एक आदेश के रूप में प्रयुक्त होती है।
- प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों रिट न्यायपालिका से संबंधित हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में रिट जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद-226 के अनुसार उच्च न्यायालय 'अन्य प्रयोगों' के लिये भी रिट जारी करने की शक्ति रखता है।
- 103वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में नए अनुच्छेद-15(6) तथा 16(6) को जोड़ा गया है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. संविधान के किस अनुच्छेद में 'कानून का समान' संरक्षण प्रावधानित है? **CGPCS (Pre) 2018**
   (a) अनुच्छेद-12 (b) अनुच्छेद-13
   (c) अनुच्छेद-14 (d) अनुच्छेद-15

2. संविधान के अनुच्छेद-26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? **CGPCS (Pre) 2018**
   (i) लोक व्यवस्था (ii) राष्ट्रीय सुरक्षा
   (iii) शिक्षा (iv) सदाचार
   (v) स्वास्थ्य (vi) धर्मनिरपेक्षता
   (a) (i) (ii) (iii) (b) (ii) (iii) (v)
   (c) (ii) (iv) (vi) (d) (i) (iv) (v)

3. अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है क्योंकि **CGPCS (Pre) 2017**
   (i) यह संविधान में उल्लिखित होता है
   (ii) यह प्रजातांत्रिक होता है
   (iii) यह लोककल्याणकारी होता है
   (iv) यह व्यक्तित्व विकास के लिये आवश्यक होता है
   (v) संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती
   (a) (i) (ii) (iii)
   (b) (i) (iii) (v)
   (c) (i) (iv) (v)
   (d) (ii) (iii) (v)
   (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं

4. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिये:

CGPCS (Pre) 2016

सूची-I	सूची-II
A. बंदी प्रत्यक्षीकरण	(i) पूर्णतया सूचित कीजिये
B. परमादेश	(ii) किस अधिकार से
C. प्रतिषेध	(iii) हम आदेश देते हैं
D. उत्प्रेषण	(iv) हमें शरीर चाहिये
E. अधिकार पृच्छा	(v) अधीनस्थ न्यायालय को लेख

कूट:

	A	B	C	D	E
(a)	ii	iv	v	iii	i
(b)	iv	iii	v	ii	i
(c)	iv	iii	v	i	ii
(d)	iv	v	iii	i	ii
(e)	iii	ii	i	v	iv

5. निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? **CGPCS (Pre) 2013**

(a) भारत की संप्रभुता
(b) लोक व्यवस्था
(c) न्यायपालिका की अवमानना
(d) अवांछनीय आलोचना
(d) उपरोक्त सभी

6. भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? **CGPCS (Pre) 2012**

(a) संसद (b) राष्ट्रपति
(c) न्यायपालिका (d) मंत्रिमण्डल
(e) कार्यपालिका

7. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा?

(a) अनुच्छेद-28 (b) अनुच्छेद-29
(c) अनुच्छेद-30 (d) अनुच्छेद-31

8. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है?

(a) अनुच्छेद-17
(b) अनुच्छेद-19
(c) अनुच्छेद-23
(d) अनुच्छेद-24

9. भारतीय संविधान में 'स्वतंत्रता का अधिकार' चार अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो हैं–

(a) अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक
(b) अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक
(c) अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक
(d) अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक

10. संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया?

(a) 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा
(b) 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा
(c) 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा
(d) इनमें से कोई नहीं

11. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त छः मूल अधिकारों में से नहीं है?

(a) समानता का अधिकार
(b) विरोध का अधिकार
(c) शोषण के विरुद्ध अधिकार
(d) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

12. भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है?

(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
(b) संवैधानिक उपचारों का अधिकार
(c) संपत्ति का अधिकार
(d) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

उत्तरमाला

1. (c) 2. (d) 3. (c) 4. (c) 5. (d) 6. (c) 7. (c) 8. (d) 9. (a) 10. (a)
11. (b) 12. (c)

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिये)

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएँ उल्लिखित हैं? **CGPCS (Mains) 2013**
2. भारतीय संविधान में उल्लिखित समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं?
3. विधियों के समान संरक्षण से आप क्या समझते हैं?
4. भारतीय संविधान में उपाधियों के अंत से संबंधित प्रावधानों के बारे में बताइये।
5. भारतीय संविधान में वर्णित शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताइये।
6. आप 'वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य' संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक् भी आता है?
7. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-15 द्वारा किन आधारों पर भेदभाव वर्जित है? इंगित कीजिये कि किस प्रकार से विशेष संरक्षण के प्रत्यय ने इस वर्जित भेदभाव को मर्यादित किया है तथा सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया है?
8. भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर अपने मत प्रस्तुत कीजिये। क्या वे भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं?

लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिये)

1. संवैधानिक उपचार के अधिकार की विवेचना कीजिये। **CGPCS (Mains) 2018**
2. युक्तियुक्त निर्बंधन से आप क्या समझते हैं?
3. किन आधारों पर अनुच्छेद-19 का निलंबन किया जा सकता है?
4. भारतीय संविधान में वर्णित धर्म की स्वतंत्रता अधिकार का परिचय दीजिये।
5. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-32 में उल्लिखित पाँच प्रकार की रिटों का संक्षिप्त परिचय दीजिये।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 100/125/175 शब्दों में दीजिये)

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में वर्णित जीवन व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कीजिये। (250 शब्द) **CGPCS (Mains) 2016**
2. 'भारतीय संविधान में दिये गए मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं। इस कथन का परीक्षण कीजिये। (100 शब्द) **CGPCS (Mains) 2015**

नोट: इस प्रश्न में निरपेक्ष शब्द के स्थान पर आत्यंतिक शब्द का उपयोग ज़्यादा उचित होगा।

3. सांविधानिक उपचारों का अधिकार संपूर्ण संविधान की आत्मा और जान है? विवेचना कीजिये। (100 शब्द) **CGPCS (Mains) 2014**
4. क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है? विवेचना कीजिये।
5. किन स्थितियों या तरीकों से मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है?

अध्याय
7

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy)

संविधान के भाग-4 को 'राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व' शीर्षक दिया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद-36 से 51 तक कुल 16 अनुच्छेद शामिल हैं। संविधान का यह खंड आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। इसके माध्यम से संविधान राज्य को बताता है कि उसे सामाजिक न्याय तथा व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिये नैतिक दृष्टि से किन पक्षों पर बल देना चाहिये।

7.1 नीति-निदेशक तत्त्वों का इतिहास *(History of Directive Principles)*

भारतीय संविधान में नीति-निदेशक तत्त्वों का विकास मूल अधिकारों के विकास के साथ ही हो गया था। संविधान सभा के सदस्यों में इस बात पर सहमति बन गई थी कि स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार तो दिये ही जाने चाहियें; साथ ही राज्य को ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी करनी चाहिये जो सामाजिक न्याय के लिये वांछनीय हैं, किंतु उन्हें मूल अधिकारों के रूप में दिया जाना संभव नहीं है। संविधान सभा के सलाहकार श्री बी.एन. राव ने सलाह दी थी कि अधिकारों को दो वर्गों में बाँटा जाना चाहिये:

(i) वे अधिकार जो न्यायालय से प्रवर्तित कराए जा सकते हैं।

(ii) वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।

दूसरे वर्ग के अर्थात् 'अप्रवर्तनीय अधिकारों' (Non-justiciable rights) का तात्पर्य कुछ ऐसे नैतिक निदेशों से था जो राज्य के अधिकारियों को नैतिक शिक्षा या प्रेरणा दे सकते थे। इस सुझाव को संविधान सभा की 'प्रारूप समिति' ने भी स्वीकार किया और मूल अधिकारों के तुरंत बाद संविधान के भाग-4 में इन्हें स्थान दिया।

मूल संविधान में अनुच्छेद-36 से 51 तक कुल 16 अनुच्छेद नीति-निदेशक तत्त्वों के लिये रखे गए थे। आगे चलकर इनमें निम्नलिखित संशोधन किये गए-

- '42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976' के माध्यम से इसमें अनुच्छेद-39(क), 43(क) तथा 48(क) को अंत:स्थापित किया गया।
- '44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978' के द्वारा अनुच्छेद-38 की भाषा में संशोधन किया गया।
- '86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002' द्वारा 6-14 वर्ष के बच्चों के लिये 'प्राथमिक शिक्षा के अधिकार' को अनुच्छेद-21(क) में मूल अधिकार का दर्जा दिये जाने के साथ ही अनुच्छेद-45 के मूल पाठ को हटाकर उसके स्थान पर एक नया पाठ रखा गया जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का कर्त्तव्य राज्य पर डाला गया।
- '97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011' के माध्यम से इस भाग में एक और संशोधन करते हुए अनुच्छेद-43(ख) अंत:स्थापित किया गया है जो राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन (Voluntary formation), स्वायत्त प्रचालन (Autonomous functioning), लोकतांत्रिक नियंत्रण (Democratic control) तथा पेशेवर प्रबंधन (Professional management) को प्रोत्साहित करने का प्रयास करने का निदेश देता है।

7.2 संविधान में विद्यमान नीति-निदेशक तत्त्व *(Directive Principles Present in the Constitution)*

वर्तमान में संविधान के भाग-4 में शामिल सभी अनुच्छेद और उनकी मूल विषयवस्तु इस प्रकार है-

अनुच्छेद-36 - नीति-निदेशक तत्त्वों के संदर्भ में 'राज्य' (State) की परिभाषा।

अध्याय
8

मूल कर्त्तव्य (Fundamental Duties)

8.1 परिचय *(Introduction)*

भारत के संविधान में मूल अधिकारों के साथ मूल कर्त्तव्यों को भी शामिल किया गया है। वस्तुत: अधिकार और कर्त्तव्य एक-दूसरे के पूरक हैं। अधिकारविहीन कर्त्तव्य निरर्थक होते हैं जबकि कर्त्तव्यविहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। यदि व्यक्ति को 'गरिमापूर्ण जीवन' का अधिकार प्राप्त है तो उसका कर्त्तव्य बनता है कि वह अन्य व्यक्तियों के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का ख्याल भी रखे। यदि व्यक्ति को 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' प्यारी है तो यह भी ज़रूरी है कि उसमें दूसरों की 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के प्रति धैर्य और सहिष्णुता विद्यमान हो।

रोचक बात है कि सामान्यत: विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में नागरिकों के कर्त्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, सभी में सिर्फ मूल अधिकारों की घोषणा की गई है। अमेरिका का संविधान इसका प्रतिनिधि उदाहरण है, जिसमें मूल अधिकार तो हैं किंतु कर्त्तव्य नहीं। ऑस्ट्रेलिया, फ्राँस, जर्मनी, कनाडा तथा ब्रिटेन जैसे देशों में भी मूल कर्त्तव्यों की ऐसी कोई सूची नहीं है। साम्यवादी देशों में मूल कर्त्तव्यों की घोषणा करने की परंपरा दिखाई पड़ती है। भूतपूर्व सोवियत संघ का उदाहरण इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। उसके संविधान के सातवें अध्याय में बहुत से ऐसे कर्त्तव्यों की सूची प्रस्तुत की गई थी जिनका पालन करने की ज़िम्मेदारी वहाँ के नागरिकों पर थी, जैसे- संविधान और कानूनों का पालन करना, अपने देश की सुरक्षा हेतु अनिवार्य सैनिक सेवा के लिये तैयार रहना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना इत्यादि।

8.2 भारतीय संविधान में मूल कर्त्तव्यों का इतिहास *(History of Fundamental Duties in Indian Constitution)*

भारतीय संविधान में मूल कर्त्तव्य शुरू से शामिल नहीं थे। श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी, तभी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में संविधान में उपयुक्त संशोधन सुझाने के लिये एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति को संविधान के सभी उपबंधों का विस्तृत निरीक्षण करते हुए यह बताना था कि उसमें ऐसे कौन-से संशोधन किये जाने चाहियें कि वह ज़्यादा तर्कसंगत और व्यावहारिक हो सके? इस समिति की बहुत-सी अनुशंसाओं में एक यह भी था कि संविधान में मूल अधिकारों के साथ-साथ मूल कर्त्तव्यों का समावेश होना चाहिये। समिति का तर्क यह था कि भारत में अधिकांश लोग सिर्फ अधिकारों पर बल देते हैं, वे यह नहीं समझते कि हर अधिकार किसी कर्त्तव्य के सापेक्ष होता है।

इस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर '42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976' के द्वारा संविधान में 'भाग 4' के पश्चात् 'भाग 4(क)' अंत:स्थापित किया गया और उसके भीतर अनुच्छेद '51(क)' को रखते हुए 10 मूल कर्त्तव्यों की सूची प्रस्तुत की गई। आगे चलकर, '86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002' के माध्यम से एक और मूल कर्त्तव्य जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 21(क) में दिये गए प्राथमिक शिक्षा के अधिकार से सुसंगत था। अनुच्छेद 21(क) में यह गारंटी दी गई थी कि 6-14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार होगा। इसी से सुसंगत 11वें मूल कर्त्तव्य द्वारा 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता या/और संरक्षकों पर यह कर्त्तव्य आरोपित किया गया है कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे।

8.3 मूल कर्त्तव्यों की सूची *(List of Fundamental Duties)*

वर्तमान में संविधान के भाग 4(क) तथा अनुच्छेद 51(क) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के कुल 11 मूल कर्त्तव्य हैं। इसके अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह–

अध्याय
9

संघीय कार्यपालिका (Federal Executive)

9.1 भारत का राष्ट्रपति *(The President of India)*

संविधान के अनुच्छेद 52 से 73 तक के समूह को 'राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति' शीर्षक दिया गया है, जिनमें अनुच्छेद 63 से 69 तक का हिस्सा उपराष्ट्रपति के संबंध में है जबकि शेष सारा राष्ट्रपति के संबंध में। इसके अलावा, अनुच्छेद 74, 77, 78, 123, 361 आदि में भी राष्ट्रपति से जुड़े कुछ उपबंध हैं।

राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति *(Constitutional status of the president)*

राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति संविधान के अनुच्छेद 53, 74 तथा 75 से स्पष्ट होती है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है, जबकि अनुच्छेद 74 तथा 75 में राष्ट्रपति का मंत्रिपरिषद से संबंध बताया गया है। इन अनुच्छेदों का मूल पाठ इस प्रकार है–

अनुच्छेद 53(1)- "संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।"

अनुच्छेद 74(1)- "राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिये एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।" (मूल संविधान के अनुसार)

अनुच्छेद 74(2)- "इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जाँच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी?"

अनुच्छेद 75(1)- "प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।"

अनुच्छेद 75(2)- "मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यंत अपने पद धारण करेंगे।"

अनुच्छेद 75(3)- "मंत्रिपरिषद, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।"

यदि मूल संविधान के इन उपबंधों पर गौर करें तो स्पष्ट होता है कि संविधान की भाषा राष्ट्रपति के वास्तविक शासक होने का संदेह पैदा करती है। अनुच्छेद 53 की शब्दावली तो ऐसी है ही, अनुच्छेद 74 भी इसकी संभावना पैदा करता है क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना होगा। 'सलाह' शब्द से कोई सरलता से यह भाव निकाल सकता है कि इसे मानने की कोई बाध्यता नहीं है। पुनः, अनुच्छेद 74(2) में कहा गया है कि न्यायालय इस बात की जाँच नहीं कर सकता कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी या नहीं और यदि दी तो क्या दी? इससे यह खतरा और बढ़ जाता है कि यदि राष्ट्रपति मनमानी करना चाहे तो न्यायालय भी उससे यह प्रश्न नहीं पूछ सकता कि उसने कोई कदम किन आधारों पर उठाया है?

वस्तुतः भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस प्रश्न पर काफी विचार-विमर्श किया था। संविधान सभा के कई सदस्यों, जिनमें सभा के अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे, का आग्रह था कि संविधान में यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। संविधान के प्रारूप में इस उद्देश्य से एक अनुसूची भी जोड़ी गई थी जिसमें राष्ट्रपति को कुछ निर्देश दिये गए थे और उनमें से एक यह था कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। किंतु, बाद में यह अनुसूची हटा दी गई क्योंकि सभा के सदस्यों को यह विचार ज़्यादा प्रभावशाली लगा कि कुछ ऐसी जटिल स्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें राष्ट्रपति द्वारा संविधान की रक्षा करने के लिये स्व-विवेक से कार्य करना ज़रूरी हो जाए। संविधान निर्माताओं को विश्वास था कि जिस प्रकार ब्रिटेन में राजा तथा मंत्रिपरिषद के मध्य स्वस्थ संबंधों की संवैधानिक परंपरा (Constitutional convention) विकसित हुई है, वैसे ही भारत में भी हो जाएगी। इस संबंध

अध्याय
10

संघीय विधायिका (Federal Legislature)

भारतीय संघ की विधायिका या व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। संविधान के अनुसार भारत की संसद के तीन अंग हैं- राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। देश की विधायिका यानी संसद के दो सदन हैं- उच्च सदन राज्यसभा निचला सदन लोकसभा कहलाता है। विधायिका का कार्य विधिनिर्माण करना होता है।

10.1 राज्यसभा *(The Council of States)*

हमारी संसद का एक सदन 'राज्यसभा' है, जिसे अंग्रेज़ी में 'Council of States' कहा जाता है। इसकी संरचना प्रायः वैसी ही है, जैसी इंग्लैंड में 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' की है। थोड़ी–बहुत मात्रा में इसे अमेरिकी कॉन्ग्रेस के द्वितीय सदन 'सीनेट' के समकक्ष भी माना जा सकता है। कभी–कभी इंग्लैंड की राजव्यवस्था के अनुकरण पर इसे उच्च सदन (Upper House) कह दिया जाता है। हालाँकि संविधान में ऐसी अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है।

राज्यसभा का गठन *(Composition of the Council of States)*

संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन से संबंधित प्रावधान दिये गए हैं। इसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। हालाँकि वर्तमान में यह 245 ही है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत (Nominate) किये जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला या समाज-सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है। शेष सदस्य, जो अधिकतम 238 हो सकते हैं, किंतु वर्तमान में 233 हैं, निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे, इसके लिये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में प्रचलित 'समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत' (Doctrine of equal representation) को नहीं अपनाया गया है बल्कि राज्य विशेष की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। यह व्यवस्था की गई है कि किसी राज्य की जनसंख्या के पहले 50 लाख व्यक्तियों तक हर 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य तथा उसके बाद प्रति 20 लाख व्यक्तियों पर राज्यसभा में एक सदस्य होगा। संविधान की चौथी अनुसूची में सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों (Union Territories) के लिये राज्यसभा में आवंटित किये गए स्थानों की सूची दी गई है। वर्तमान में यह सूची इस प्रकार है–

राज्य	स्थान	राज्य	स्थान	राज्य	स्थान	राज्य	स्थान	राज्य	स्थान
आंध्र प्रदेश	11	केरल	9	पंजाब	7	हिमाचल प्रदेश	3	तेलंगाना	7
असम	7	मध्य प्रदेश	11	राजस्थान	10	मणिपुर	1	**दिल्ली***	3
बिहार	16	छत्तीसगढ़	5	उत्तर प्रदेश	31	त्रिपुरा	1	**पुदुच्चेरी***	1
झारखंड	6	तमिलनाडु	18	उत्तराखंड	3	मेघालय	1	गोवा	1
महाराष्ट्र	19	पश्चिम बंगाल	16	सिक्किम	1	गुजरात	11	कर्नाटक	12
जम्मू-कश्मीर	4	मिज़ोरम	1	हरियाणा	5	ओडिशा	10	नागालैंड	1
अरुणाचल प्रदेश	1	(**कुल**	**233**)						

ध्यातव्य है कि सभी संघ राज्यक्षेत्रों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। संविधान के '7वें संशोधन अधिनियम, 1956' के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा में संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे, जो संसद विधि द्वारा निश्चित करे। संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए **दिल्ली*** को 3 तथा **पुदुच्चेरी*** को 1 स्थान आवंटित किया है। शेष छः संघ राज्यक्षेत्रों को राज्यसभा में फिलहाल कोई प्रतिनिधित्व हासिल नहीं है।

राज्यसभा के लिये निर्वाचन *(Election for the Council of States)*

चुनाव प्रणाली (Method of election)

संविधान सभा ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर द्वितीय सदन के निर्वाचन के लिये आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional representation) के सिद्धांत को अपनाया। यह पद्धति भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में भी लागू होती है

अध्याय
11

भारत की न्यायपालिका (Judiciary of India)

सामान्यत: न्यायालय को विभिन्न लोगों या निजी संस्थानों के आपसी झगड़ों को सुलझाने वाले 'पंच' के रूप में देखा जाता है। परंतु न्यायपालिका आपसी झगड़ों के साथ-साथ कुछ महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कार्यों को भी अंजाम देती है। यह सरकार का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह 'कानून के शासन' की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। इस प्रकार न्यायपालिका कार्यपालिका और कार्यपालिका के कार्यों पर नज़र रखती है और इनके किसी भी प्रकार के निरंकुशता पर नियंत्रण रखती है।

11.1 भारत की न्यायपालिका : एक परिचय *(Judiciary of India : An Introduction)*

न्यायपालिका के विभिन्न स्तर *(Different Levels of Judiciary)*

भारत में न्यायपालिका के 3 प्रमुख स्तर हैं। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) है जिसका प्रमुख कार्य केंद्र-राज्य विवादों तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों पर विचार करना है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना, संविधान की अंतिम व्याख्या (Interpretation) करना तथा सिविल (Civil) व आपराधिक (Criminal) मामलों में अपीलों की अंतिम सुनवाई करना भी इसके कार्यों में शामिल हैं।

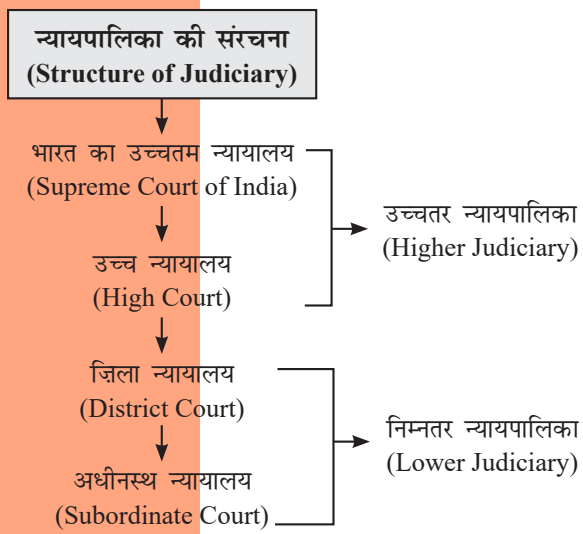

सर्वोच्च न्यायालय के बाद दूसरे स्तर पर उच्च न्यायालय (High Court) हैं जो किसी राज्य की न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर स्थित हैं। केंद्र-राज्य विवादों या विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों पर इनका क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) नहीं है, किंतु इन विषयों को छोड़कर ये राज्य की सीमाओं के भीतर प्राय: वे सभी कार्य करते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय देश के स्तर पर करता है। ध्यातव्य है कि उच्च न्यायालय न्यायिक दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से वे स्वतंत्र हैं। सर्वोच्च न्यायालय उनके निर्णयों को बदल सकता है, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण कर सकता है; पर उच्च न्यायालयों के प्रशासन को नियंत्रित नहीं कर सकता।

उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय को सम्मिलित रूप से 'उच्चतर न्यायपालिका' (Higher Judiciary) कहा जाता है। इसके विपरीत, उच्च न्यायालयों से नीचे के सभी न्यायालयों को सम्मिलित रूप से 'निम्नतर न्यायपालिका' (Lower Judiciary) या 'अधीनस्थ न्यायपालिका' (Subordinate Judiciary) कहा जाता है।

अधीनस्थ न्यायपालिका के भी कई उप-स्तर हैं। इनमें सर्वोच्च स्तर पर ज़िला एवं सत्र न्यायालय (District and Session Court) होता है तथा उसके नीचे 2 से 3 स्तरों पर उसके अधीन काम करने वाले अन्य न्यायालय। ये सभी न्यायालय प्रशासनिक दृष्टि से उच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करते हैं। संबंधित उच्च न्यायालय इनके निर्णयों की अपील तो सुनता ही है; साथ ही उनके प्रशासन की निगरानी भी करता है। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, उनके कार्य की समीक्षा आदि उसी के हाथ में होती है।

अध्याय
12

आपातकालीन उपबंध (Emergency Provisions)

12.1 परिचय *(Introduction)*

भारतीय संविधान साधारण स्थितियों में संघात्मक सिद्धांतों का अनुसरण करता है, पर संविधान निर्माताओं को इस बात का अनुमान था कि यदि देश की सुरक्षा खतरे में हो तो संघात्मक ढाँचा परेशानी का कारण भी बन सकता है। संविधान का भाग XVIII इसी प्रयोजन की पूर्ति करता है। इस भाग का नाम है–'आपात उपबंध' (Emergency Provisions)। इसमें संविधान के अनुच्छेद 352-360 शामिल हैं।

आपात के प्रकार *(Types of Emergency)*

संविधान में तीन तरह की आपात स्थितियाँ बताई गई हैं–

- अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत घोषित आपात जो 'युद्ध', 'बाह्य आक्रमण' या 'सशस्त्र विद्रोह' के कारण घोषित किया जाता है। इस आपात को 'राष्ट्रीय आपात' (National Emergency) कहे जाने का प्रचलन है, हालाँकि संविधान में इस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 352 का शीर्षक 'आपात की उद्घोषणा' (Proclamation of Emergency) है।
- अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र (Constitutional Machinery) के विफल हो जाने की दशा में घोषित किया जाने वाला आपात। प्रचलित भाषा में इसे 'राष्ट्रपति शासन' (President's Rule) के नाम से जाना जाता है। कहीं-कहीं इसे 'राज्य आपात' (State Emergency) भी कह दिया जाता है। गौरतलब है कि अनुच्छेद 356 में 'आपात' या 'आपातकाल' जैसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।
- अनुच्छेद 360 के तहत घोषित होने वाला 'वित्तीय आपात' (Financial Emergency)। इसका संबंध भारत या उसके किसी भाग के वित्तीय स्थायित्व (Financial Stability) या साख (Credit) के संकट में पहुँचने से है। इसे संविधान में 'वित्तीय आपात' (Financial Emergency) ही कहा गया है।

12.2 राष्ट्रीय आपात *(National Emergency)*

अनुच्छेद 352 के तहत घोषित होने वाले आपात को 'राष्ट्रीय आपात' कहे जाने का प्रचलन है। राष्ट्रीय आपात से संबंधित विभिन्न उपबंध कुछ शीर्षकों के अन्तर्गत समझे जा सकते हैं–

आपात की उद्घोषणा के आधार *(Basis of the proclamation of Emergency)*

वर्तमान में अनुच्छेद 352(1) के तहत आपात की उद्घोषणा तभी हो सकती है जब राष्ट्रपति को यह संतुष्टि हो जाए कि 'युद्ध' (War), 'बाह्य आक्रमण' (External Aggression) या 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के कारण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है। यहाँ राष्ट्रपति की संतुष्टि का वास्तविक अर्थ 'मंत्रिपरिषद' की संतुष्टि से है, क्योंकि आपात की उद्घोषणा करना राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है।

गौरतलब है कि मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा के 3 आधार वर्णित थे, किंतु उनमें 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) की जगह 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) का उल्लेख था। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 'आंतरिक अशांति' के आधार पर ही आपात की उद्घोषणा की थी। उस समय सारे देश में इस बात पर सहमति थी कि वह उद्घोषणा अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग थी। जनता पार्टी ने अपने चुनावी वायदों में संविधान का यह उपबंध बदलने का आश्वासन दिया था। चुनाव जीतने के पश्चात् जनता पार्टी की सरकार ने '44वें संविधान संशोधन' के माध्यम से अनुच्छेद 352 में 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्दावली को हटाकर उसकी जगह 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) को रख दिया।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी तथा फ्लोचार्ट का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 8750187501, 011-47532596